

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : स. 3(5)(5)स्था./राजपत्रित/अभि./16/१२४-1७७७

जयपुर, दिनांक:- 8 सितम्बर, 2022

आदेश

गृह (ग्रुप-10) विभाग के आदेश प. 3(1) गृह-10/2012 दिनांक 16.08.22 द्वारा 26 (24+2) सहायक अभियोजन अधिकारियों को अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई है।


सेवानिवृत्त, मृत्यु एवं स्वे. सेवानिवृत्ति के प्रकरणों के अतिरिक्त उपरोक्त आदेश द्वारा पदोन्नत अभियोजन अधिकारी पदोन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।

संबंधित अधिकारी उपरोक्त कर्मचारी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण अविलम्ब कराकर पालना सुनिश्चित करें।

६०/१
(भानूप्रकाश एटूरु)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन।
3. संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5. संबंधित अधिकारी श्री _____।
6. संस्थापन शाखा (मंत्रालयिक)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर